

(प्रपत्र-3)

भाग- (V)

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

अभिशासी अभियन्ता
प्रधानाध्यापक, ए. ए. ए. वि.
बड़कोट, उत्तरकाशी

नोट:- उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

संख्या:- 2/95 / 11(2)/13-47(प्र0आ0)/

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

रन्दा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

महोदय,

देहरादून दिनांक: 22 मार्च, 2011
प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0/कु0क्ष0, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यों के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 81.975 किमी० + 04 सेतु सहित पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 807.01 लाख (₹ आठ करोड़ सात लाख एक हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 16 कार्यों हेतु कुल धनराशि ₹ 1.60 लाख (₹ एक लाख साठ हजार मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कशाने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैन्युअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निगत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में ए0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 सड़क तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(क)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(ख)- वर्तमान में व्यय हेतु अनुवक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2013 तक सुनिश्चित किया जाएगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय सगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(ग)- यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्यों की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(घ)- उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 1.60 लाख का बजट आर्यटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश स0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम 10 लोक निर्माण विभाग के अनुदान स0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेंट आई0डी0 स0:- S1303220523 दिनांक 22-03-2013 के द्वारा आपको आबंटित कोड स0- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(ङ)- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान स0-22-लेखाधीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(च)- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1111(I)/XXVII(2)/2012 दि०: 22 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या- 2195 (1)/111(2)/13-47(प्रा0आ0)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1 महालेखाकार (लेखा प्रथम), आयराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2 आयुक्त गढ़वाल/कुमार्य मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 3 सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4 मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0/कुमार्य क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
- 5 सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 6 निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7 वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
- 8 सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
- 9 सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
- 10 गार्ड बुक।

आज्ञा से.

11/5/13

(महिमा)
अनु सचिव

प्रस्तावनादेश संख्या- 2/95 (1)/(2)/13-47(प्रोआ0)/2012 दिनांक 22 मार्च, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु में)

कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत लाख में	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
2	3	4	5
जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरस्वती मंदिर दूगाधार मोटर मार्ग का दरवारी नगर तक विस्तार।	1.00	12.60	0.10
जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र कालादुंगी में रानीबाग ब्रवरी मोटर मार्ग के ग्राम दोगडा से प्राईमरी पाठशाला जली तक अवशेष मोटर मार्ग ल० 2.0 किमी० व नलैना गधेर पर 60.00 मी० स्थान के स्टील गार्डर पुल का निर्माण कार्य।	2.00 + 60mt	29.36	0.10
जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र कालादुंगी में आमकडाव से चौपडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	37.80	0.10
जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालादुंगी में दंघोरी-देगाव व मूसाबागर के मध्य से बौर नदी पर 50 मी० स्थान झूला पुल का निर्माण।	50 mt	2.08	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में मिसागाव घाटाला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.00	50.32	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में मसालगांव से गगटाडी लिंक मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण।	3.00 + 72 mt	43.50	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाव में बडकोट तिलाडी हल्का मोटर वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एवं डामरीकरण का कार्य।	1.975	6.81	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेय मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	62.90	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में एच०आर०टी० से जसपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.00	63.00	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में तिलकधारा-बनगाव-धापडा- सरदेह मोटर मार्ग के किमी० 11 से सवनाग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	25.20	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में जामर से बुदारका-मैनीताल मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.00	88.20	0.10

संसाधन सख्या- 2/95 (1)/11(2)/13-47(प्रो0आ0)/2012 दिनांक 22 मार्च, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत लाख में	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
2	3	4	5
जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरस्वती मंदिर दूंगाधार मोटर मार्ग का दरवासी नगर तक विस्तार।	1.00	12.60	0.10
जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र कालादुंगी में रानीबाग ब्रवरी मोटर मार्ग के ग्राम दोगड़ा से प्राईमरी पाठशाला जली तक अवशेष मोटर मार्ग ल० 2.0 किमी० व नलैना गधेर पर 60.00 मी० स्थान के स्टील गार्डर पुल का निर्माण कार्य।	2.00 + 60mt	29.36	0.10
जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र कालादुंगी में आगवडाव से चौपड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	37.80	0.10
जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालादुंगी में दंघोरी-देगाव व मूसाबागर के मध्य से बौर बट्टी पर 50 मी० स्थान झूला पुल का निर्माण।	50 mt	2.08	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में मिसालगाव धाड़ाला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	50.32	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में मसालगाव से गगटाडी लिंक मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण।	3.00 + 72 mt	43.50	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाव में बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एवं डामरीकरण का कार्य।	1.975	6.81	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेय मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	62.90	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में एच०आर०टी० से जसपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.00	63.00	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में सिलवधारा-बनगाव-धापड़ा- सरदेह मोटर मार्ग के किमी० 11 से गवनाग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	25.20	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में जमर स लुदारका-मैनाल मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.00	88.20	0.10

शासनादेश संख्या - 95/111(2)/13-47(प्रौआ0)/2012 दिनांक 22 मार्च, 2013 क

12	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में जसपुर बगड से माडियासारी-मसोन मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00	37.80	0
13	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र- यमुनोत्री के विकासखण्ड चिन्हालीसौंड में बडेथी- बनचौरा-बडीगाड राज्य मार्ग के श्रीकोट से ग्राम कुडाल्डी, दिलाग से लोहरी-सिनाल याव होते हुए धरासू यमुनोत्री राजराज मार्ग पर कल्याणी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10.00	127.80	0.
14	जनपद टिहरी गढ़वाल में सुवाखोली-अलमस-भवान-नगुण मोटर मार्ग का सुवाखोली से अलमस तक डेढ़ लेन में परिवर्तन कार्य (कि०मी० 1.00 से 14.00)।	14.00	65.24 (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-08 के अनुसार)	0.1
15	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में सुवाखोली-अलमस-भवान-नगुण मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में परिवर्तन एवं 12 मी० आर०सी०सी० पुल का निर्माण। (कि०मी० 15 से 28)	14.00 + 01	66.20 (0.96 + 65.24 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-08 के अनुसार)	0.10
16	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र- पिथौरागढ़ में दिगस से तारीगाव मोटर मार्ग का निर्माण। (गा० मु०म०घोषणा सं०-98/2012) योग:-	7.00	88.24	0.10
		81.975 + 04 brg	807.01	1.60

(कुल ₹ एक लाख साठ हजार मात्र

PC Attached
38

महिमा
(महिमा)
अनुसचिव